



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 1613 /12-1 :देहरादून:

दिनांक: 13 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ के मौना-ल्वेशाल-कालापातल मोटर मार्ग के किमी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मन्दिर कालीरो तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/42523/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार की संख्या -8बी/यू०सी०पी०/06/132/2020/एफ०सी०/ 1585
दिनांक 20.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 20-10-2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-2021 एवं पत्रांक 2778/12-1 दिनांक 14-11-2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने की शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1800 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA Rates for 1.8 Ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों	क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव की धनराशि रु० 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इकत्तीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा

	के एकल प्लांटेशन से बचें। ख) राज्य सरकार पौधरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	की जा चुकी है। (संलग्नक-1) ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 2778/12-1 दिनांक 14-11-24 से पौधरोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-2)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रवधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत आन लाईन जमा कर दी गई है। (संलग्नक-3)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 30.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.9 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 7,60,500.00 (सात लाख साठ हजार पांच सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार) ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 Trees including 11 saplings होगी एवं राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

	राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II Approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor & Ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
9	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार इस प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानकों के अनुसार सड़क के दोनों ओर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल सं0 11-42/2017-FC दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल सं0 11-42/2017-FC दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जाएगा।

	विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किये जाने एवं मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होने पर सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 9822/13-कालापातल दिनांक 30-06-21 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग एवं अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1613 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

पत्रांक:-

1272 / 18mg

दिनांक: 22/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/42523/2019 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/06/132/2020/एफ०सी०/1585 दिनांक 20.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- 1- शर्त संख्या-1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2- शर्त संख्या-2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
- 3- शर्त संख्या-3, प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू० 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 752/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैपट/आर० टी०जी०एस०चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-03)
- 5- शर्त संख्या-05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि०पि०(सि०) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू० 7,60,500.00 (रू० सात लाख साठ हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि 0.90 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन०पी०बी० आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-03)

- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-04)
- 6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-05)
- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में "State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II, approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that on further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission ". शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- शर्त संख्या-08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)
- 9- शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
- 16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।
- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी मान्य है।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। तीन-तीन हार्ड प्रतियां कुल 5 पृष्ठ।

पत्रांक:-

1272 / 18mg

दिनांक:- 22/6/2021

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
22/6/2021

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
22/6/2021



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

752/कैश

दिनांक:- 31/03/2021

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय:- बैंकर्स चेक संख्या 179309 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना-ल्वेशाला-कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 में इण्टर कॉलेज से प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरोँ तक मोटर मार्ग में एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू० 13,67,431.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैंकर्स चेक सं० 179309 दिनांक 30/03/2021 रू० 13,67,431.00 मात्र (तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतीस) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1- बैंकर्स चेक संख्या 179309 दिनांक 30/03/2021 रू० 13,67,431.00 मूल में।
2- ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान - 03 प्रति में।

भवदीय

[Signature]

अभिषासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

o/c

Prachin Kaliro mIR.

21/03/2021-2

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1367431/-
Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	COOPB0000371
Pay to Account No.	15639842223828 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Cooperation Bank Lodhi IC Complex Branch, Block 11, CGED Complex, Phase II, Lodhi Road, New Delhi-110003
.. This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1367431/-
Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	COOPB0000371
Pay to Account No.	15639842223828 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Cooperation Bank Lodhi IC Complex Branch, Block 11, CGED Complex, Phase II, Lodhi Road, New Delhi-110003
.. This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk@copbank.co.in

[Signature]
Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL

[Signature]
Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL



07/2

21/03/2021-3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawal from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD3965520199966139655996		27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 614952/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by 07 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 08 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dlnondnotnawil.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kalro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD4252320198286142523828		20 Oct 2020	CA: 606931/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 760500/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1367431/-	Paid	Fund Demand Verified by 09 Feb 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 08 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/1112812321212EAY32dlnonadholpracheenkaliro.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828)
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Vidhan district under state plan	ROAD4660720206036146607603		18 Feb 2021	CA: 1153169/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1444950/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2598119/-	Paid	Fund Demand Verified by 09 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 15 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/3118123812193111cdemandnot.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

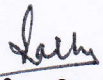
P. P. Singh
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० से इन्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

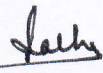
संलग्नक-5

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० से इन्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेंडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.